

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांक:- 41/अ-59/2017-18/1237

बैतूल दिनांक 05/2/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 39 रा0 नि0 मं0 बैतूल-1 तहसील बैतूल जिला बैतूल द्वारा तहसीलदार बैतूल के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, मौजा बघवाड़ तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 259 रकबा 0.283 हेक्टेयर मद चरनोई पर 17 व्यक्ति/परिवार मकान बनाकर निवासरत् है, अतः इस भूमि का मद परिवर्तन किया जाकर आबादी घोषित किया जाना आवश्यक है।

2- हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार बैतूल द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा बघवाड़ तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 259 रकबा 0.283 हेक्टेयर मद चरनोई की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- मौजा बघवाड़ तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 259 रकबा 0.283 हेक्टेयर मद चरनोई पर निवासरत् व्यक्तियों द्वारा ग्राम पंचायत से आवासीय पट्टे की मांग किए जाने पर दिनांक 2-10-2017 को आयोजित ग्रामसभा में उक्त खसरा नंबर को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा बघवाड़ तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 259 रकबा 0.283 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद में दर्ज है, अधिकार अभिलेख वर्ष 1968-69 के अनुसार उक्त खसरा नंबर घॉस मद में दर्ज है।

(4)- प्रकरण में संलग्न पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम का मकबूजा रकबा 334.594 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 6.915 हेक्टेयर है। चरनोई के उपलब्ध रकबे में से 0.283 हेक्टेयर को आबादी घोषित करने के उपरांत चरनोई का रकबा 6.632 हेक्टेयर शेष रहेगा, जो मकबूजा रकबा का 1.98 प्रतिशत ही होगा। यदि ग्राम में स्थित पहाड़ चट्टान मद के खसरा नंबर 36 रकबा 4.561 हेक्टेयर में से 0.561 हेक्टेयर को चरनोई घोषित किया जाता है तो ग्राम में चरनोई का कुल रकबा 7.476 हेक्टेयर हो जाएगा तथा उसमें से रकबा 0.283 हेक्टेयर आबादी घोषित करने के उपरांत 7.193 हेक्टेयर चरनोई का रकबा शेष बचेगा जो ग्राम के मकबूजा रकबे का 2.15 प्रतिशत होता है।

(5)- उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर तहसीलदार बैतूल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, मौजा बघवाड़ स्थित खसरा नंबर 36 रकबा 4.561 हेक्टेयर मद महाड़ चट्टान में से 0.561 हेक्टेयर को चरनोई घोषित करने एवं, खसरा नंबर 259 रकबा 0.283 हेक्टेयर मद चरनोई को आबादी घोषित किया जाना उचित होगा। अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल द्वारा तहसीलदार बैतूल के जाँच प्रतिवेदन एवं अभिमत से सहमत होते हुए उपरोक्ता मद परिवर्तन की अनुशंसा की गई है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा (1) (ट) के अनुसार कलेक्टर दखल रहित भूमि को किन्हीं अन्य प्रयोजनों लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाए, पृथक रख सकता है तथा उपधारा- (3) के अनुसार चारागाह, घॉस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गों, नहरों, तालाबों, अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, गौशालाओं, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओं के लिए व्यवर्तित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक- 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांक:- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की



समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, तहसीलदार बैतूल अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा बघवाड़ प. ह. नं. 39 तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 36 रकबा 4.561 हेक्टेयर मद महाड़ चट्टान में से 0.561 हेक्टेयर (जिसे नक्शे में लालस्याही से चिन्हित किया गया है) को चरनोई घोषित किया जाता है एवं, खसरा नंबर 259 रकबा 0.283 हेक्टेयर मद चरनोई को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।



(मूलचन्द्र वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 41/अ-59/2017-18/1237

बैतूल दिनांक 05/02/2018

प्रतिलिपि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार बैतूल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
- 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 5- सचिव ग्राम पंचायत बघवाड़ जनपद पंचायत बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.